उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-115/2015/847/71-1-2015-अ-1(42)/2010
लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2014
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 मनोज कुमार राव, चिकित्साधिकारी, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवानगर, बलिया को राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के फार्माकोलॉजी विभाग में प्रवक्ता के रिक्त पद के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1141/71-1-10-अ-01(42)/2010, दिनॉक 21-10-2010 द्वारा एक वर्ष के लिए नियुक्त/तैनात किया गया था। कार्यालय ज्ञाप संख्या-2515ए/71-1-11-अ-01(42)/2010, दिनॉक 27-12-2011 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2965/71-1-12-अ-01(42)/2010, दिनॉक 04-02-2013 द्वारा डा0 मनोज कुमार राव की सेवा स्थानान्तरण अवधि 01-01 वर्ष के लिए बढ़ायी गयी। अन्तिम बार सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2822/71-1-13-अ-01(42)/2010, दिनॉक 14-08-2014 द्वारा दिनॉक 12-11-2013 के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/632, दिनॉक 15-04-2015 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के फार्माकोलॉजी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत डा0 मनोज कुमार राव की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 11-11-2014 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक नियुक्त होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1141/71-1-10-अ-01(42)/2010, दिनॉक 21-10-2010 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 115/2015/847(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6- कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7- चिकित्सा अनुभाग-3
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।